

आवंटन/
नीलामी तिथि :
02.03.2019
समय :
प्रातः 11.00 बजे



उ०प्र० आवास विकास परिषद की
वाराणसी जोन के अन्तर्गत
गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या एवं गोण्डा
की सम्पत्तियों का
आवंटन / नीलामी

नीलामी स्थल :

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक,
आफिस काम्पलेक्स, अंगूरी बाग, फैजाबाद

अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (लाख में)
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
दुकानें-LGFS-9, 10, 11 (अनारक्षित)	03	9.633 व.मी.	-	1410452.00 प्रति नग	1.41 नीलामी
अवधपुरी योजना, अयोध्या					
व्यव.भू.-1341/1 (अनारक्षित)	01	100.65	21280.00	21.41	2.15 नीलामी
कियास्क-4	01	2.00 व.मी.	-	1.90 प्रति नग	19000.00 नीलामी

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (लाख में)
तहसील हरैया, बाग्बे योजना, बस्ती					
आवासीय भवन 22 नग 15/25 प्रकार बी.पी.एल. कार्डधारकों हेतु	22	25.05	-	0.40 प्रति नग	0.05 लाटरी द्वारा
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
अल्प आय वर्ग 2233 सेमी फिनिशड (सामान्य)	01	61.27	11,12,200.00	-	0.56

नोट : तहसील हरैया जनपद बस्ती के अन्तर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा, बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित व्यक्तियों के (बी.पी.एल. कार्डधारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य नियम व शर्तें

- समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/ योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा।
- सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें :

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com



भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards



IS 15700
SQMS